

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद  
प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 27/05/2017 को मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम व पुलिस/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में नवाब युसुफ रोड व लालबहादुर शास्त्री मार्ग एल्गिन रोड सिविल लाइन्स क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान 07 बोर्ड, 01 गैराज, 02 झोपड़पट्टी, 03 रैम्प, एवं 02 स्थानों पर लोहे के तार से की गयी घेराबन्दी सहित सड़क से 20 स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। नगर निगम द्वारा रु 1000, जुर्माने के रूप में वसूला गया। साथ ही टीम के साथ यातायात पुलिस द्वारा सड़क पर पार्किंग करने 65 वाहनो का चालान तथा 02 चार पहिया वाहन 01 कार व एक वैन जिसमे व्यवसाय किया जा रहा था एवं 05 दो पहिया वाहन जप्त किये गये।

इस कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से विशेषकार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, नगर निगम के जोनल अधिकारी श्री रवीन्द्र, एवं नगर निगम से श्री पियूष मोहले के अतिरिक्त थाना सिविल लाइन्स की पुलिस फोर्स, पी0ए0सी0 बल एवं एडीए प्रवर्तन दल व पुलिस बल मौजूद रहे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जोन 01 जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में कुल 06 चालान सहित 63 नोटिस निर्गत की गयी तथा 03 भवन सील किये गये।

जोन सं0 02 कालिन्दीपुरम में जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्राधिकरण की अध्याप्त भूमि पर निर्मित 01 रूम सहित 10 बाऊन्ड्रीवाल को ध्वस्त कराया गया जिससे प्राधिकरण की लगभग 1200 वर्ग मी0 की जमीन लगभग रु0 2.5 करोड़ की सम्पत्ति कब्जा मुक्त हुयी। इसके अतिरिक्त उक्त जोन में ही 03 चालान 04 नोटिस एवं 01 निर्माण सील किया गया।

जोन सं0 03 में श्री सत शुक्ला द्वारा 05 चालान सहित 09 नोटिस निर्गत करायी गयी।

जोन संख्या 04 (नैनी) में जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव द्वारा अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध 16 चालान व 16 नोटिस एवं 02 निर्माण सील कराया गया।


जोन सं0 05 (झूँसी) में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव द्वारा 05 चालान एवं 10 नोटिस निर्गत करायी गयी। जोन सं0 06 (फाफामऊ) में जोनल अधिकारी श्री सत शुक्ला के द्वारा 01 चालान एवं 05 नोटिस निर्गत करायी गयी। इस प्रकार कुल 06 भवन (निर्मित/निर्माणा धीन) सील कराये गये, 36 चालान, 109 नोटिस अधिनियम 1973 की धारा 27व28 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये तथा 02 निर्माण ध्वस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहें।

(पी0एन0यादव)

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद

प्रतिलिपि:— जन सम्पर्क अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना उन्ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जिसमें पूर्व में उक्त सूचना प्रकाशित की गयी थी।

  
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क